भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.4612

31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कार्यान्वयन

4612. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा पीएम-स्वनिधि योजना के तहत अब तक प्रदान की गई सहायता के लाभार्थियों की संख्या महाराष्ट्र और बिहार सहित राज्य-वार कितनी है और उसके तहत जारी की गई कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या पीएम-स्वनिधि योजना उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है जिनके लिए यह शुरू की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस योजना में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस हेतु निजी बैंकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और योजना की कुल स्वीकृतियों और संवितरणों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या और लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या महाराष्ट्र और बिहार सहित राज्य-वार कितनी है; और

(ज) ब्याज की किस दर पर इन लाभार्थियों को ऋण मिल रहा है और केंद्र सरकार और लाभार्थियों द्वारा वहन की जाने वाली सब्सिडी के प्रतिशत की हिस्सेदारी कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री पथ विक्रेता की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि वे पथ विक्रेता अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्राप्त कर सके, जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल प्रभावित हुए थे। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रू. तक की जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की सुविधा; पूर्व ऋण की वापसी अदायगी करने पर, क्रमश: दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में क्रमशः 20,000 रू. और 50,000 रू. का बढ़ा हुआ ऋण।
ii. 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित वापसी अदायगी को प्रोत्साहित करना; तथा
iii. प्रति वर्ष 1,200 रू. तक के कैश बैक के माध्यम से, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना।

(ख) और (छ): 24 मार्च, 2022 तक, पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 29.1 लाख है और 3,170 करोड़ का ऋण संवितरित किया जा चुका है। महाराष्ट्र और बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): जी, हां। पीएम स्वनिधि योजना ने पथ विक्रेताओं को उनके व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। 24 मार्च, 2022 तक, 30.5 लाख ऋण जिनमें पहली और दूसरी किश्त शामिल है, संवितरित किए जा चुके हैं।

(घ) और (ड.): 24 मार्च, 2022 तक, निजी क्षेत्र के बैंकों ने 61,358 ऋण संवितरित किए हैं, जो कुल संवितरित किए गए 30.5 लाख ऋणों का केवल 2% है। निजी बैंक-वार निष्पादन का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) अपने निष्पादन में सुधार के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों सहित, ऋणदाता संस्थानों (एलआई) के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2021-22 तक, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों में प्रतिशत हिस्सेदारी 1.9% से बढ़कर 11.6% हो गई है, जबकि संवितरण में हिस्सेदारी का प्रतिशत 1.7% से बढ़कर 2.5% हो गया है।

(च): जी, हां। मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिडबी ने उद्यमी मित्र पोर्टल और उधार देने वाले संस्थाओं के नेटवर्क का लाभ उठाया है, जिसमें योजना कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सुक्ष्म-वित्त संस्थान (एमएफआई) शामिल हैं।

(ज): ऋणदाता संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर वसूल करती हैं।

ऋणों की समय पर वापसी अदायगी करने पर तिमाही आधार पर 7% की ब्याज सब्सिडी का भुगतान किया जाता है।

*****

दिनांक 31 मार्च, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 4612 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम- स्वनिधि योजना के तहत राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि दर्शाने वाला विवरण

24 मार्च 2022 तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021 -22		लाभार्थियों की कुल संख्या	संवितरित ऋण (लाख रू. में)
	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण (लाख रू. में)	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण (लाख रू. में)		
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	387	38.7	84	18.4	471	57.1
आंध्र प्रदेश	1,12,684	11,199.0	69,085	8,671.5	1,81,769	19,870.5
अरुणाचल प्रदेश	1,588	158.7	866	108.8	2,454	267.5
असम	14,155	1,411.3	37,084	4,039.8	51,239	5,451.1
बिहार	28,857	2,848.1	17,756	1,892.7	46,613	4,740.8
चंडीगढ़	2,051	203.9	1,324	157.9	3,375	361.8
छत्तीसगढ़	40,290	3,992.5	6,104	1,095.7	46,394	5,088.1
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	1,021	101.7	131	14.5	1,152	116.2
दिल्ली	31,162	3,094.2	9,767	1,046.1	40,929	4,140.3
गोवा	1,017	101.1	206	51.9	1,223	152.9
गुजरात	1,02,347	10,160.0	90,805	12,048.0	1,93,152	22,208.0
हरियाणा	16,942	1,677.7	8,456	1,199.0	25,398	2,876.7
हिमाचल प्रदेश	2,768	275.9	550	160.0	3,318	435.9
जम्मू और कश्मीर	11,505	1,148.8	2,397	439.3	13,902	1,588.1
झारखंड	22,033	2,189.8	6,216	870.1	28,249	3,059.9
कर्नाटक	1,07,966	10,759.9	31,085	5,065.5	1,39,051	15,825.4
केरल	8,047	799.4	1,223	468.1	9,270	1,267.5
लद्दाख	247	24.7	14	12.4	261	37.1
मध्य प्रदेश	3,13,879	31,205.0	1,51,238	23,100.0	4,65,117	54,305.0
महाराष्ट्र	1,49,107	14,812.4	46,202	6,516.6	1,95,309	21,329.0
मणिपुर	6,094	608.7	2,388	257.0	8,482	865.7
मेघालय	253	25.3	323	37.5	576	62.8
मिजोरम	442	44.2	33	20.7	475	64.9
नागालैंड	1,202	120.2	270	57.4	1,472	177.6
ओडिशा	27,475	2,715.6	6,751	905.0	34,226	3,620.7
पुदुचेरी	1,130	112.9	115	25.3	1,245	138.1
पंजाब	26,664	2,642.6	12,072	1,279.6	38,736	3,922.1

राजस्थान	50,322	5,015.5	16,444	1,667.5	66,766	6,683.0
सिक्किम	-	-	1	0.1	1	0.1
तमिलनाडु	87,701	8,718.3	72,198	7,550.4	1,59,899	16,268.7
तेलंगाना	3,10,032	30,658.1	33,198	10,392.4	3,43,230	41,050.5
त्रिपुरा	2,601	259.6	362	64.8	2,963	324.3
उत्तर प्रदेश	5,63,792	55,491.7	2,11,909	22,841.5	7,75,701	78,333.2
उत्तराखंड	9,107	906.6	1,270	203.8	10,377	1,110.4
पश्चिम बंगाल	2,378	235.6	10,769	1,062.6	13,147	1,298.1
कुल	**20,57,246**	**2,03,757**	**8,48,696**	**1,13,342**	**29,05,942**	**3,17,099**

दिनांक 31 मार्च, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 4612 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएम- स्वनिधि योजना के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत और संवितरित ऋण की संख्या (द्वितीय किश्त ऋण सहित) का बैंक-वार विवरण

(24 मार्च, 2022 तक)

क्र. सं.	**निजी क्षेत्र के बैंक का नाम**	**स्वीकृत ऋणों की संख्या**	**संवितरित ऋणों की संख्या**
1	एचडीएफसी बैंक	1,16,827	14,988
2	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	14,576	13,424
3	आईडीबीआई बैंक	12,451	10,844
4	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	10,018	9,143
5	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	4,401	2,983
6	आईसीआईसीआई बैंक	4,237	2,708
7	ऐक्सिस बैंक	3,299	2,252
8	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	1,528	1,204
9	फेडरल बैंक	1,272	1,049
10	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	1,159	981
1 1	साउथ इंडियन बैंक	525	476
12	नैनीताल बैंक लिमिटेड	462	420
13	बंधन बैंक लिमिटेड	367	307
14	सिटी यूनियन बैंक	305	275
15	इंडसइंड बैंक	222	97
16	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	76	67
17	आरबीएल बैंक लिमिटेड	58	55
18	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	42	41
19	सीएसबी बैंक लिमिटेड	39	25
20	यस बैंक लिमिटेड	18	18
21	लक्ष्मी विलास बैंक	1	1
कुल निजी क्षेत्र के बैंक		**1,71,883**	**61,358**
योजना के तहत कुल		**33,50,759**	**30,51,244**

*****